भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- †1893
उत्तर देने की तारीख- 19/12/2022

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

†1893. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पांच वर्षों मे इस योजना के अंतर्गत जारी की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ऊधम (सीपीएसई), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) नामक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**लाभार्थियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	5484
छत्तीसगढ़	1590
गोवा	1
गुजरात	51747

राज्य	लाभार्थियों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	320
जम्मू और कश्मीर	545
झारखंड	504
कर्नाटक	1259
केरल	621
महाराष्ट्र	3718
मेघालय	29
मध्य प्रदेश	1326
मिजोरम	138
ओडिशा	520
राजस्थान	2763
सिक्किम	316
त्रिपुरा	224
उत्तराखंड	9
पश्चिम बंगाल	37842
कुल	**108956**

*उत्तर प्रदेश के मामले में न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ और न ही स्वीकृत।

(ख): एएमएसवाई योजना के तहत पिछले 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई कुल निधियों का विवरण:

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	एएमएसवाई के तहत संवितरण
2017-18	193.76
2018-19	239.81
2019-20	974.46
2020-21	1137.52
2021-22	499.27
2022-23 (30.11.2022 तक)	320.60
कुल	**3365.42**

*****